बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 11/10–11

1. **परिचयात्मक :–**

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – खाध,आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग ,बिहार,पटना।

(ख) लेखा प्रभारी का नाम एवं कार्यावधि :–

(1) श्री लाल बाबू गुप्ता – निबंधक – 1.4.2000 से 2.6.2000

(2) श्री रंजीत प्रसाद साह – अवर सचिव – 27.6.2000 से 6.9.2000

(3) श्री लाल बाबू गुप्ता – निबंधक – 7.9.2000 से 19.2.2002

(4) श्री शारदा प्रसाद – निबंधक – 20.2.02 से 30.10.04

(5) श्री आनन्द मोहन ठाकुर – अवर सचिव – 2.11.04 से 27.1.05

(6) श्री मो0 अख्तर आदिलगिलानी – अवर सचिव – 28.1.05 से 22.11.05

(7) श्री परशुराम सिंह – प्र0 पदाधिकारी – 23.11.05 से 7.2.06

(8) मो0 अख्तर आदिलगिलानी – अवर सचिव – 8.2.06 से अद्यतन

(ग) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले व्यक्ति का नाम एवं पदनाम – श्री जवाहर पंडित–रोकड़ पाल

(घ) अंकेक्षण अवधि – वर्ष 2001–02 से 05–06 तक

(ङ) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – 11.8.2006

(च) अंकेक्षण समापन तिथि – 16.2.2010

(छ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 359 कार्य दिवस औसतन

(ज) वरीय अंकेक्षकों के नाम –
1. श्री विश्वनाथ शर्मा
2. श्री उमाशंकर शर्मा
3. श्री संजय
4. श्री अवध किशोर सिंह

(झ) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' अंकित है।

<u>(ञ) अंकेक्षण का क्षेत्र :—</u>

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक ए0 वी0 (i) 29161—2297 एफ0 ए0 दिनांक 4.7. 1961 कड़िका 14 'घ' के निदेशानुसार इस विभाग के मुख्य शीर्ष 3451,3456 तथा 2013 (मंत्री परिषद) के लेखा का विशेष अंकेक्षण,अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत लेखा अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया। खाद्य ,आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग,बिहार,पटना द्वारा अंकेक्षित अवधि में पटना सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन से निकासी की गयी राशियों का सत्यापन कोषागार के अभिलेखों के आधार पर परिशिष्ट 'ख' पर अंकित राशियों को छोड़कर किया गया एवं शत—प्रतिशत सही पाया गया। लेकिन विभाग द्वारा कोषागार में जमा की गयी राशियों का सत्यापन आंशिक रूप से ही किया जा सका क्योकि विभाग द्वारा रेमीटेन्स पंजी का संधारण नही किये जाने के कारण कोषागार में जमा की गयी राशियों का सत्यापन शत प्रतिशत नही किया जा सका। पूर्व का कोई भी अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही किये जाने के कारण पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा नही की जा सकी।

<u>(ट) वित्तीय समीक्षा :—</u>

वित्तीय वर्ष 2001—02 से 05—06 तक का आवंटन एवं व्यय विवरणी परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न मदों में आवंटन से कम व्यय के फलस्वरूप बचत राशि से संबंधित प्रत्यर्पण प्रतिवेदन अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया गया और सही पाया गया। किन्तु अंकेक्षण के क्रम में अनेक प्रकार की वित्तीय अनियमितताये पायी गयी जिसके फलस्वरूप विभिन्न मदों में अनुमान्य राशि से अधिक व्यय किया हुआ पाया गया जिसका विस्तृत विवरण अनुवर्त्ती कड़िकाओं में दिया गया है। इसके अतिरिक्त रेमीटेन्स पंजी का संधारण नही किया हुआ पाया गया जिसका संधारण अपेक्षित है।

वित्त (अंकेक्षण) विभाग के ज्ञापांक—503 दिनांक 29.1.1976 में विहित निदेशानुसार अंकेक्षण प्रारंभण तिथि 11.8.2006 को रोकड़ के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा करवाया गया और स्थिति निम्नवत् पायी जिसका उल्लेख रोकड़ पंजी के पृष्ट संख्या—147 पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अंकित किया गया दिनांक 11.8.2006 को सवंरण शेष की भौतिक स्थिति निम्न प्रकार पाया गया —

	पुराना शेष	**नया शेष**	**कुल राशि**
पीत पत्र अग्रिम	12,880=91	1,32,120=00	1,45,001=11
अभिश्रव	719=00	2500=00	3219=20
नगद (बी0 डी0 सहित)	<u>शून्य</u>	<u>1,25,822=65</u>	<u>1,25,822=65</u>

योग	13,599=91	2,60,443=05	2,74,042=96

(ठ) विभाग में स्वीकृत पदों एवं कार्यरत बल की सूची अंकेक्षण अभियाचना के बाबजूद अंकेक्षण में समक्ष प्रस्तुत नही किया जा सका जिससे स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की जानकारी अंकेक्षण को नही हो सकी। अतः वांछित विवरणी से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाये।

भाग–1

2. मोटर गाड़ी मद में रू0 3,53,281=65 का अनियमित व्यय वसूली योग्य :–

शीर्ष 3451 एवं 3456 के मोटर गाड़ी मद में व्यय की गयी राशियों के जाँच में पाया गया कि गाड़ी नं0 बी0 पी0 आई 5742 जिसका उपयोग वर्ष 01–02 से 05–06 तक लगातार विभागीय सचिव द्वारा की गयी थी जिसकी पुष्टि प्रसंगाधीन गाड़ी से संबंधित संचिका सं0–प्र0 1–4,4–6/2000 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त गाड़ी सिर्फ विभागीय सचिव के द्वारा लगातार उपयोग किया गया है। एक अन्य विभागीय गाड़ी सं0 बी0 आर0 आई0 एन0–7070 भी वर्ष 01–02 से 05–06 तक लगातार सचिव के साथ सम्बद्ध रही थी जिसकी पुष्टि अंकेक्षण आपत्ति के अनुपालन में विभाग द्वारा की गयी थी। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि अंकेक्षण द्वारा निर्गत आपत्ति के अनुपालन में उप सचिव द्वारा गलत सूचना देकर अंकेक्षण को दिग्–भ्रमित करने का प्रयास किया गया था कि गाड़ी सं0 बी0पी0 आई0 5742 स्टाफकार के रूप में कार्यरत था । लेकिन वास्तव में यह गाड़ी सचिव के साथ सम्बद्ध रही थी। ऐसा संचिका से ज्ञात हुआ।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार के मितव्ययिता परिपत्र 4512 वि0 (2) दिनांक 29–8–1990 के अनुसार विभागीय सचिव को एक हीं गाड़ी अनुमान्य है। इसकी पुष्टि अंकेक्षण आपत्ति के अनुपालन में विभाग द्वारा भी की गयी थी।

अंकेक्षण द्वारा कई बार लिखित एवं मौखिक स्मार के बाबजूद निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया। जिससे आपत्ति यथावत बनी रही। अतः गाड़ी सं0 बी0 पी0 आई0 5742 पर किया गया सकल व्यय की राशि 3,53,281=65 रू0 वसूली योग्य है जिसे शीघ्रातिशीघ्र जिम्मेवार संबंधित कर्मचारी/पदाधिकारी से वसूल कर कोषागार के उचित शीर्ष में जमा कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार,पटना को अवगत कराया जाये। संगत विवरणी परिशिष्ट–''घ'' पर संलग्न है।

3. मोटरगाड़ी मद में रू0 2,24,959=05का अनियमित व्यय वसूली योग्य :–

शीर्ष 3456 के मोटरगाड़ी मद में व्यय की गयी राशियों के जाँच में पाया गया कि गाड़ी सं0 बी0आर0आई0 पी0 4888 विभागीय कैबिनेट मंत्री के एस्कार्ट पार्टी के लिये सम्बद्ध था जबकि कैबिनेट मंत्री के लिये एक विभागीय गाड़ी सं0 बी0आर0 आई0 के0 3155 पहले से हीं आवंटित था। प्रासंगिक गाड़ी से संबंधित संचिका सं0 प्र0 10 सं0/6–02/99 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि प्रासंगिक गाड़ी अक्सर बगहा में ही कार्यरत रहता था। ऐसी स्थिति में उक्त वाहन का एस्कार्ट पार्टी के साथ सम्बद्ध होने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार के मितव्ययिता परिपत्र 4512 वि0 (2) दिनांक 29–8–90 के अनुसार विभागीय मंत्री को एक हीं गाड़ी अनुमान्य है और विभागीय मंत्री के साथ एक अन्य विभागीय गाड़ी बी0 आर0 आई0के0 3155 वर्ष 2001–02 से 05–06 तक सम्बद्ध रहीं थी। जिसकी पुष्टि अंकेक्षण आपत्ति के अनुपालन में विभाग द्वारा की गयी ।

अंकेक्षण द्वारा कई बार लिखित एवं मौखिक स्मार के बाबजूद निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि इस आपत्ति के संबंध में विभाग को कुछ भी नहीं कहना है। इस तरह आपत्ति यथावत रह गयी । अतः गाड़ी सं0 बी0आर0आई पी0 4888 पर किया गया सकल व्यय की राशि 2,24,945=05 रू0 अनियमित एवं वसूली योग्य है, जिसे शीघ्रताशीघ्र इसके लिये जिम्मेवार संबंधित कर्मचारी/ पदाधिकारी से सकल राशि वसूल कर कोषागार के उचित शीर्ष अंतर्गत कोषागाकर में जमाकर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार,पटना को अवगत कराया जाय। संगत विवरणी परिशिष्ट (ड०) संलग्न है।

4. मोटर गाड़ी मद में रू0 180854=16 का अनियमित व्यय वसूली योग्य :–

शीर्ष 3451 एवं 3456 के मोटर गाड़ी मद में व्यय की गयी राशियों की जाँच में पाया गया कि गाड़ी नं0– BEQ (5776) जिसका उपयोग विभाग में प्रतिनियुक्त डी0 आई0 जी0 द्वारा वर्ष 2001–02 से जून 2005 तक लगातार किया गया था। यह गाड़ी सी0 आई0 डी0 (Food) पुलिस विभाग से अपने साथ लेकर आये थे जिसका उपयोग डी0 आई0 जी0 द्वारा खाद्य आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग में अनाधिकृत रूप से किया गया थ। जो सरकारी निदेश के विरूद्ध है। यहाँ यह भी उल्लेखनिय है कि इस गाड़ी के अतिरिक्त एक अन्य विभागीय गाड़ी नं0 BRIP-4519 का उपयोग डी0 आई0 जी0 द्वारा किया गया था। जो उन्हे अनुमान्य था। डी0 आई0 जी0 फुड को भी एक ही सरकारी वाहन अनुमान्य था। जिसकी पुष्टि अंकेक्षण आपत्ति के अनुपालन में विभाग द्वारा भी की गयी थी।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार के मितव्ययिता परिपत्र–4512 वि(2) दिनांक 29.8.90 के अनुसार डी0 आई0 जी0 को एक ही गाड़ी अनुमान्य है और इनके

साथ एक अन्य विभागीय गाड़ी सं0 BRIP-4519 वर्ष 01–02 से जून 2005 तक सम्बद्ध रही है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण आपत्ति के अनुपालन में विभाग द्वारा भी की गयी।

इस प्रकार अंकेक्षण द्वारा कई बार लिखित एवं मौखिक स्मार के बावजूद निर्गत आपत्ति का अनुपालन नही किया गया। इस तरह आपत्ति यथावत रह गयी । अतः गाड़ी सं0 BRIP-5776 पर किया गया सकल व्यय की राशि 1,80,854=16 रू0 अनियमित एवं वसूली योग्य है जिसे शीघ्रताशीघ्र इसके लिये जिम्मेवार संबंधित कर्मचारी/पदाधिकारी से सकल राशि वसूल कर कोषागार में उचित शीर्ष अंतर्गत जमाकर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार,पटना को अवगत कराया जाय। इस संबंध में विस्तृत विवरणी परिशिष्ट ''च'' का अवलोकन किया जा सकता है।

5. गाड़ी भाड़ा एवं ईंधन के रूप में रूप्ये 1,19,601=35 पै0 का अनियमित व्यय वसूली योग्यः–

शीर्ष 3456 के वाहन से संबंधित व्यय की गयी राशियों के जाँच में पाया गया कि संलग्न विवरणी में अंकित वाहन को भाड़े पर लिया गया था और कुल रू0 1,19,601=35 का व्यय विभिन्न तिथियों को भाड़े एवं ईंधन पर किया गया था। यहाँ उल्लेखनीय है कि विभाग के लिए निर्धारित वाहनों की संख्या से अधिक सरकारी वाहन विभाग में पूर्व से हीं उपलब्ध होने के बाबजूद अतिरिक्त वाहन को भाड़े पर लिये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं हो सका।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में कार्यालय द्वारा निम्नरूपेण अनुपालन किया गया :– '' अंकेक्षण आपत्ति की अवधि वर्ष 2001–02 2005–06 में विभाग में मंत्री/राज्य मंत्री/सचिव/डी0आई0जी0 फुड एवं कार्यालय के लिए एक–एक अर्थात् कुल पाँच (5) गाड़ियाँ अनुमान्य है। जबकि इस अवधि में कुल 11 (ग्यारह) गाड़ियाँ कार्यरत रही हैं। इन ग्यारह (11) गाड़ियों में बी0 एच0 ए0 8766 दिनांक 10.12.03 को एवं बी0 एच0 ए0 8770 दिनांक 19.6.06 करे निलाम हो चुकी है । बी0 आर0 I पी0 4519 जिप्सी अप्रील 2005 से खराब पड़ी हुई है। डी0 आई0 जी0 फुड के साथ कार्यरत गाड़ी बी0 पी0 क्यू0 5776 जून 2005 तक ही विभाग में चली है। शेष सात (7) गाड़ियाँ कार्यरत है।

माननीय मंत्री एवं माननीय राज्य मंत्री को एक–एक गाड़ी अनुमान्य है, परन्तु उनकी माँग पर दो–दो गाड़ियाँ उनके साथ चली है। इनमें से दो जिप्सी का क्रय राशन दुकानों की छापामारी करने हेतु किया गया था, परन्तु ये दोनों गाड़ियाँ माननीय मंत्री एवं माननीय राज्य मंत्री के साथ चली है। फलस्वरूप इस अवधि में छापामारी कार्य हेतु गाड़ी भाड़े पर ली गयी है। दूसरी तरफ माननीय मंत्री एवं माननीय राज्य मंत्री के साथ कार्यरत एम्बेस्डर गाड़ियों की वृहद मरम्मति हेतु वर्क शाप जाने की अवधि में माँग किये जाने पर उनके लिये गाड़ी भाड़े पर ली गयी थी। सभी प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त एवं सचिव द्वारा अनुमोदित हैं फलतः इसमें किसी अनियमितता का प्रश्न नहीं बनता हैं।

उपर्युक्त स्थिति में अनुमान्यता से अधिक गाड़ी रहने के बावजूद भाड़े की गाड़ी पर व्यय रूपये 1,19,601=35 (एक लाख उन्नीस हजार छः सौ एवं पैतीस पैसे) व्यय की आपत्ति को निरस्त किया जा सकता है।

इस प्रकार अनुपालन के अवलोकन से ज्ञात होगा कि प्रसंगाधीन अवधि में अपेक्षित संख्या में वाहन उपलब्ध रहने के बावजूद वाहन भाड़े पर लिया गया जो सरकारी निर्देश का खुलम खुल्ला उल्लंघन एवं लोक धन का अपव्यय है। इस अपव्यय की सकल राशि 1,19,601=35 रू0 दोषी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से वसूल करना नितान्त आवश्यक प्रतीत होता है ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नही हो सके। अतः संबंधित दोषी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से सकल राशि रू0 1,19,601=35 की वसूली की जाये एवं अनुपालन से वित्त(अंकेक्षण) विभाग ,बिहार ,पटना को अवगत कराया जाये। संगत विवरणी परिशिष्ट 'छ' पर संलग्न है।

6. <u>शीर्ष 2013 में 83,109=50 रू0 का अनियमित व्यय वसूली योग्य :–</u>

शीर्ष 2013 (मंत्री परिषद) से संबंधित व्यय प्रमाणकों की जाँच संगत लेखा अभिलेखों के क्रम में पाया गया कि संलग्न विवरणी में अंकित सामग्रियों के क्रय हेतु कुल रू0 83109=50 (मा0 मंत्री का रू0 40612=50 महाबली सिंह का रू0 12340=50 तथा राज्य मंत्री का 30156=50 रू0) का व्यय किया गया था। परन्तु संसदीय कार्य विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक 425 दिनांक 6.9.97 में उक्त क्रय किये गये सामग्रियों का नाम अंकित नही होने के कारण अनुमान्य नही है। इससे स्पष्ट है कि अनियमित रूप से प्रसंगाधीन सामग्रियो का क्रय किया गया था एवं तत्संगत राशि का अपव्यय किया गया था। जो धोर आपत्ति जनक है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रसंगाधीन पत्र मे अंकित सामग्रियों की विहित अदद से अधिक अदद में सामग्रियों की आपूर्त्ति की गयी थी। जो और भी आपत्तिजनक है एवं वसूली योग्य हैं ।

इस प्रकार निर्गत आपत्ति के अनुपालन के संबंध में कई बार लिखित एवं मौखिक स्मार के बाबजूद आपत्ति का अनुपालन किसी भी स्तर से नही किया जा सका जो वास्तव में खेद का विषय है। आपत्ति से स्पष्ट है कि अधीमानता से अधिक सामानों का क्रय किया गया जो धोर वित्तीय अनियमितता का धोतक एवं सरकारी राशि का उपव्यय है। अतः प्रसंगाधीन व्यय की सकल राशि 83109=50 संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से वसूली की जाये तथा अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार,पटना को अवगत कराया जाये। संगत विवरणी परिशिष्ट 'ज' संलग्न है।

7**<u>. शीर्ष 2013 में 43,179=00 का अनियमित व्यय वसूली योग्य :–</u>**

शीर्ष 2013 (मंत्री परिषद) से संबंधित व्यय प्रमाणकों की संगत लेखा अभिलेखों के साथ जाँच में पाया गया कि संलग्न विवरणी (वर्ष 01–02) में अंकित सामग्रियों के क्रय हेतु कुल रू0 43,179=00 (मा0 मंत्री 21,129=00 तथा राज्य मंत्री रू0 22,050=00 का व्यय किया गया

था। परन्तु संसदीय कार्य विभाग,बिहार ,पटना के ज्ञापंक 425 दिनांक 6.9.97 में उक्त (विवरणी) क्रय किये गये सामग्रियों का नाम अंकित नही होने के कारण अनुमान्य नही है। इससे स्पष्ट है कि अनियमित रूप से प्रसंगाधीन सामग्रियों का क्रय किया गया था एवं तत्संगत राशि का अपव्यय किया गया था जो गंभीर रूप से आपत्तिजनक है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रसंगाधीन पत्र में अंकित सामग्रियों की विहित अदद से अधिक अदद में सामग्रायो का क्रय किया गया था जो और भी आपत्ति जनक है तथा अनियमित होने के कारण वसूली योग्य है।

इस प्रकार निर्गत अंकेक्षण आपत्ति के संबंध में अंकेक्षण द्वारा कई बार लिखित एवं मौखिक स्मार के बाबजूद आपत्ति का अनुपालन किसी भी स्तर से नही किया जा सका जो अत्यन्त ही खेद का विषय है। आपत्ति से स्पष्ट है कि अनुमानयता से अधिक सामानों का क्रय किया गया जो गंभीर वित्तीय अनियमितता का धोतक एवं सरकारी राशि का अपव्यय है । अतः प्रसंगाधीन व्यय की सकल राशि 43,179=00 संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति संबंधित शीर्ष अर्न्तगत कोषागार में जमाकर अथवा व्यक्तियों से वसूली की जाये तथा अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार,पटना को अवगत कराया जाये। संगत विवरणी परिशिष्ट 'झ' संलग्न है।

8. **<u>चाय/कॉफी आदि मद में रू0 26,473=55 का अनियमित व्यय वसूली योग्य :-</u>**

शीर्ष 3451 के वर्ष 2001-02 के आकस्मिक व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि संलग्न विवरणी में अंकित अभिश्रवों द्वारा चाय/कॉफी आदि मद में कुल रू0 26,473=55 का अनियमित व्यय किया गया था। यहाँ उल्लेखनीय है कि बिहार वित्त नियमावली भाग-1 के नियम -110 से संबंधित परिशिष्ट-5 के अनुसार चाय/कॉफी आदि मद में किया गया व्यय आकस्मिक मद के अन्तर्गत नही आता है। साथ ही ऐसे व्यय के लिए कोई बजट प्रावधान भी नही पाया गया। इस तरह स्पष्ट है कि प्रसंगाधीन व्यय पूर्णतः अनियमित एवं वसूली योग्य है। अंकेक्षण द्वारा निर्गत आपत्ति का अनुपालन कार्यालय द्वारा अथवा संबंधित कर्मचारी/पदाधिकारी द्वारा नही किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि इस संबंध में विभाग को कुछ नही कहना है। परिणामतः आपत्ति यथावत रह जाती है। अतः प्रसंगाधीन मद में किया गया सकल व्यय की राशि 26,473=55 रू0 अनियमित एवं वसूली योग्य हो जाता है जिसे दोषी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय एवं अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाये। संगत विवरणी परिशिष्ट 'ञ' संलग्न है।

<u>9. वेतन मद में रूपये 11,182=00 का अनियमित भुगतान वसूली योग्य :-</u>

विभागीय कर्मियों के सेवा पुस्त की जाँच में पाया गया कि श्री काशीनाथ प्रसाद आदेशपाल, को विभागीय आदेश सं0 1664 दि0 24.11.97 द्वारा ट्रेजरी सरकार के पद पर

वेतन मान 950—20—1150—25—1400 में प्रोन्नति दी गयी थी तथा अपुनरीक्षित वेतनमान में उन्हे दिनांक 24.4.97 को 1325 रू0 पर वेतन निर्धारित किया गया था। पुनः वित्त विभाग के संकल्प सं0 —660 दिनांक 8.2.99 एवं 3435 दिनांक 5.6.99 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान 2550—55—2660—60—3200 में दिनांक 1.1.96 को रू0 3200+337 पर निर्धारित किया गया था जो सही है। किन्तु दिनांक 24.4.97 को पुनरीक्षित वेतनमान 2750—70—3800—75—4400 में उनका वेतन दिनांक 24.4.97 को 3310+417 आर0 पी0 पी0 पर निर्धारित किया हुआ पाया गया जो गलत है। मूल नियमावली 22 के अनुसार दिनांक 24.4.97 को उनका वेतन 3310+227 + आर0 पी0 पी0 पर निर्धारित किया जाना चाहिए था। इसी तरह श्री काशीनाथ प्रसाद को समय—समय पर अनुमान्य राशि से अधिक राशि का भुगतान किया गया था जो वसूली योग्य है।

अतः संलग्न विवरणी के आधार पर श्री प्रसाद से कुल रू0 11,182=00 की वसूली की जाय तथा इससे वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाये। निर्गत आपत्ति का अनुपालन नही किया गया इस तरह आपत्ति यथावत रह जाती है। अतः प्रसंगाधीन भुगतान की राशि 11,182=00 रू0 की वसूली श्री प्रसाद से की जाये तथा अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग ,बिहार पटना को अवगत कराया जाये। संगत विवरणी परिशिष्ट 'ट' संलग्न है।

10. शीर्ष 2013 के आपूर्त्ति मद में अनुमान्य राशि से अधिक भुगतीत राशि 5511=70 रू0 वसूली योग्य :—

शीर्ष 2013(मंत्री परिषद) के वर्ष 2001—02 से 05—06 तक के आपूर्त्ति से संबंधित व्यय प्रमाणकों की जाँच एवं संगत लेखा अभिलेखों से सत्यापन में पाया गया कि संलग्न विवरणी में अंकित व्यय प्रमाणकों द्वारा विभिन्न सामग्रियों का क्रय किया गया था एवं संगत दावों के विरूद्ध कुल रू0 5511=70 का भुगतान विवरणी में अंकित तिथियों को किया गया था। परन्तु इन व्यय प्रमाणकों का सत्यापन क्रय समिति द्वारा निर्धारित मूल्य तालिका के आधार पर करने के क्रम में पाया गय कि सामग्रियों का क्रय निर्धारित मूल्य से ऊँचे दर पर किया गया था जो बिहार वित्त नियमावली के भाग—1 के नियम 129 के तथा भाग—2 के परिशिष्ट —8 के विरूद्ध है।

निर्गत आपत्ति का अनुपालन नही किया गया इस तरह आपत्ति यथावत रह गयी है। अतः निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर किये गये भुगतान की अंतर की राशि 5511=70 रू0 वसूली योग्य है जिसे संबंधित दोषी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से वसूली की जाये तथा उचित उचित शीर्ष अर्न्तगत कोषागार में जमा से संबंधित अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार,पटना को अवगत कराया जाये। इस संबंध में विस्तृत विवरणी परिशिष्ट 'ठ' संलग्न है।

11. यात्रा भत्ता मद में रूपये 7020=00 का अनियमित भुगतान वसूली योग्य :—

वर्ष 2001–02 के यात्रा भत्ता विपत्रों के कार्यालय प्रति की जाँच एवं रोकड़ पंजी के साथ सत्यापन के क्रम में पाया गया कि निम्नांकित कर्मचारियों द्वारा पटना से राँची दिनांक 12.2.02 एवं दिनांक 17.2.02 को राँची से पटना टैक्सी नं0 B.H.P –6605 द्वारा यात्रायें की गयी थी और तदनुसार यात्रा भत्ता का कुल रू0 7020=00 का भुगतान प्राप्त किया गया था। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि एक ही गाड़ी (टैक्सी) से जाने और आने की यात्रा दिखायी थी जो भ्रामक स्थिति उत्पन्न करता है इस संबंध में यह प्रश्न उठता है कि क्या प्रसंगाधीन टैक्सी दिनांक 12.2.02 से दिनांक 17.2.02 तक राँची में भौतिक रूप से उपलब्ध थी ? अगर थी तो इसकी जाँच अपेक्षित है। अन्यथा ऐसी स्थिति में प्रसंगाधीन यात्रा को काल्पनिक एवं सत्य से परे करार देते हुए संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई अपेक्षित है।

इस प्रकार निर्गत आपत्ति के संबंध में अंकेक्षण द्वारा कई बार लिखीत एवं मौखिक स्मार के बाबजूद कार्यालय अथवा संबंधित कर्मचारियों द्वारा अनुपालन नही किया गया ।

अतः जाँच तक यात्रा भत्ता भुगतान की कुल राशि 7020=00 आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है। अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाये। संबंधित कर्मचारियों के नाम :–

कर्मचारियों के नाम	राशि	विपत्र सं0	भुगतान की तिथि
1 विनय कुमार गौड़ सहायक	1815.00	389 01–02	31.3.02
2 उमेश कुमार श्रीवास्तव सहायक	1815.00	389 01–02	31.3.02
3 राम बाबू प्रसार सांख्यिक	1695.00	389 01–02	31.3.02
4 शशि शेखर कुमार विपत्र लिपिक	1695.00	389 01–02	31.3.02

कुल – 7020.00

12. शीर्ष 3456 के ईधन मद में रू0 999=60 का व्यय वसूली योग्य :–

ईधन से संबंधित व्यय प्रमाणकों की जाँच एवं संगत–लेखा–अभिलेखों के सत्यापन के क्रम में पाया गया कि विपत्र सं0 281 / SC –03–04 तथा व्यय प्रमाणक सं0 171 / 03–04 द्वारा 30 लीटर ईधन का क्रय दिनांक 20.10.03 को किया गया था एवं संगत राशि 999=60 रू0

का भुगतान मेसर्स गौसोलीन सर्विस प्रा0 लि0 को दिनांक 23.12.03 को किया गया था। परन्तु कृत ईधन की प्रविष्टि संगत लौग बुक में नही पायी गयी। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि क्रय की तिथि के पूर्व से ही (दिनांक 10.10.03) संगत वाहन सं0 BRIK–3327 मरम्मती हेतु गैराज में था। साथ ही संगत वाहन से संबंधित संचिका भी संबंधित ड्राइवर श्री ललन कुमार दास द्वारा माह अक्टूबर –03 का ईधन खर्च की जो अभियाचना की गयी थी उसमें मात्र 35 लीटर ईधन का उल्लेख किया हुआ पाया गया तथा जिसकी प्रविष्टि लौग बुक में भी पायी गयी थी। किन्तु इस 30 लीटर अतिरिक्त ईधन की अभियाचना ड्राइवर द्वारा भी नही की गयी थी।

अतः 30 लीटर ईधन के क्रय का कोई औचित्य स्पष्ट नही होता है। ऐसी स्थिति में यह बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रसंगाधीन क्रय वास्तविकता से परे है। इसलिए दोषी कर्मी अथवा कर्मियों से प्रासंगिक राशि 999=60 वसूली योग्य है।

निर्गत आपत्ति का अनुपालन नही किया गया इस तरह आपत्ति यथावत रह गयी है। अतः प्रसंगाधीन व्यय की राशि 999=60 रू0 की वसूली संबंधित दोषी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से की जाय तथा अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार,पटना को अवगत कराया जाये।

13. लेटर पैड की छपाई पर व्यय की राशि 5100=00 रू0 का आपर्त्ति अन्तर्गत :–

अंकेक्षण के क्रम में मुख्य शीर्ष 3451 के वर्ष 2001–02 के आकस्मिक व्यय पंजी से व्यय प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि कुल रू0 5100=00 का भुगतान संबंधित प्रेस को लेटर पैड की छपाई मद में किया गया था। अभिश्रव के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त छपाई बिना कोन्टेशन के ही किया गया था जो बिहार वित्त नियमावली भाग–2 के परिशिष्ट –8 के विरूद्ध है। नियमतः छपाई कार्य सरकारी प्रेस से किया जाना चाहिए था और सरकारी प्रेस से इंकार करने के बाद ही निबंधित प्रेस से कोटेशन के आधार पर छपाई करवाना चाहिए था। किन्तु विभाग द्वारा नियम संगत प्रक्रियाओं को अपनाये बिना ही अनियमित ढंग से लेटर पैड की छपाई करवायी गयी।

निर्गत आपत्ति का अनुपालन कार्यालय द्वारा नही किया गया जो कार्य में अनियमितता का धोतक है। अतः प्रसंगाधीन मद में किये गये व्यय की राशि 5100=00 रू0 की जाँच सक्षम पदाधिकारी से कारकर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार,पटना को अवगत कराया जाय तब तक व्यय को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है विवरण निम्नवत इस प्रकार है :–

क्रमांक	विपत्र सं0 / वर्ष	अभिश्रव सं0	प्रेस का नाम	राशि	भुगतान तिथि
1	232 / 01–02	102	अंबिका आफसेट प्रीन्टरस	5100=00	12.01.11

14. अल्पाहार मद में रू0 15,200=00 का व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

अंकेक्षण के क्रम में शीर्ष 3451 के वर्ष 03–04 के व्यय प्रमाणकों की जाँच एवं रोकड़ पंजी के साथ सत्यापन में पाया गया कि विभागीय ज्ञापांक 137 दिनांक 2.7.03 द्वारा मुख्य मंत्री के आवासीय कार्यालय पर मार्च एवं अप्रील 03 में आहूत बैठक में सम्मिलित कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के अल्पाहार हेतु रूपये 15200=00 की स्वीकृत प्रदान की गयी थी जबकि इसके लिए कोई विनियोग पारित नही पाया गया जो स्पष्टतः आदेश विनियोग के विरूद्ध है अर्थात् अनियमित भी है।

निर्गत आपत्ति का अनुपालन असंतोषप्रद एवं अनियमित पाया गया। ज्ञातव्य है कि अल्पाहार कार्यालय व्यय के अन्तर्गत सम्मिलित नही है। इस संबंध में बिहार वित्त नियमावली भाग–2 का परिशिष्ट –5 का अवलोकन किया जा सकता है। इस तरह आपत्ति यथावत रह गयी है और तत्काल सकल व्यय की राशि 15200=00 रू0 को आपत्ति अन्तर्गत रखते हुए संतोषप्रद अनुपालन की अपेक्षा की जाती है। अन्यथा ऐसी स्थिति में संबंधित दोषी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से वसूली योग्य समझी जायेगी।

15. रूपये 1,51,039=11 का अग्रिम असमायोजित :–

अंकेक्षण के क्रम में सामान्य रोकड़ पंजी की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.06 के संवरण शेष की विस्तृत विवरण में रू0 12,880=91 का विगत कई वर्षो से अग्रिम के रूप में दर्शाया जा रहा था साथ ही उक्त तिथि को ही संवरण शेष की विस्तृत विवरण में रूपये 1,38,158=20 का बफशीट अग्रिम अंकित किया गया था,किन्तु उक्त अग्रिम से संबंधित विवरण अंकेक्षण में अप्रस्तुत रहने के कारण यह स्पष्ट नही हो सका कि उक्त अग्रिम किस प्रकार का था और किसे भुगतान किया गया था। अतः उक्त अग्रिम की राशि कुल रू0 1,51,039=11 (12,880=91+1,38,158=20=1,51,039=11) का शीध्रताशीध्र समायोजन अपेक्षित है।

निर्गत आपत्ति का अनुपालन विभाग द्वारा नही किया गया जो अंकेक्षण के प्रति उदासीनता का धोतक है। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसंगाधीन अग्रिम चाहे वह जिस रूप में दिया गया हो अद्यतन असमायोजित है जिसे शीध्रतशीध्र समायोजित किया जाना अपेक्षित है।

अतः प्रसंगाधीन अग्रिम को समायोजित कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार,पटना को अवगत कराया जाये।

भाग –2

16. रूपये 53,323=50 कोषागार में जमा करने योग्य :–

अंकेक्षण के क्रम में शीर्ष 3456 के रोकड़ पुस्त में अंकित संवरण शेष की विवरणी की जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 1986–87 से 05–06 के बीच विभिन्न मदों में विभिन्न

विपत्रों द्वारा रूपये 53,323=50 की निकासी की गयी थी परन्तु इस राशि का उपयोग न कर रोकड़ पुस्त में संवरण शेष के रूप में रखा जा रहा था। जो बिहार कोषागार संहिता भाग – के नियम 300 के विरूद्ध है।

निर्गत आपत्ति का अनुपालन विभाग द्वारा नही किया गया। इस तरह आपत्ति यथावत रह गयी है। अतः बिहार कोषागार संहिता भाग –1 के नियम 289(3) के आलोक में प्रसंगाधीन राशि रू0 53,323=50 शीध्रता शीध्र कोषागार में जमा कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार पटना को अवगत कराया जाये। संगत विवरणी परिशिष्ट –'ड' पर अंकित है।

17. परिवहन कर की राशि रू0 4527=10 जिला परिवहन कार्यालय को भुगतान करने योग्य :–

अंकेक्षण के क्रम में शीर्ष 3456,वर्ष 2001–02 के आकस्मिक व्यय पंजी की जाँच क्रम में पाया गया कि विभागीय गाड़ी सं0 B.R.I.P– 4888 के बकाया परिवहन कर के भुगतान हेतु रू0 4527=10 की निकासी विपत्र सं0 408 दिनांक 30.3.02 द्वारा की गयी थी। परन्तु आज तक उसका भुगतान संबंधित कार्यालय को नही कर रोकड़ पुस्त के संवरण शेष में रखा गया, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता का धोतक है।

निर्गत आपत्ति का अनुपालन विभाग द्वारा नही किया गया। इस तरह आपत्ति यथावत रह गयी है।

अतः शीध्रताशीध्र संगत राशि को जिला परिवहन कार्यालय पटना को भुगतान किया जाये साथ ही इस परिवहन कर के विरूद्ध लगने वाले अतिरिक्त विलंब शुल्क की (भरपायी) संबंधित दोषी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से की जाये। इस संबंध में बिहार कोषागार संहिता के नियम 299 एवं 300 द्रष्टव्य है। साथ ही की गयी कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार ,पटना को अवगत कराया जये।

18. अनियमित नियुक्ति :–

अंकेक्षण के क्रम में कर्मचारियों के सेवा पुस्त की जाँच में पाया गया कि निम्नांकित कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित नियुक्ति पत्रों का उल्लेख उनके सेवा पुस्त में अंकित नही पाया गया और न ही उनकी नियुक्ति किस प्रक्रिया द्वारा की गयी है इसका कोई भी उल्लेख सेवा पुस्त में अंकित किया हुआ नही पाया गया। ऐसी स्थिति में संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति संदेहात्मक प्रतीत होता है जो जाँच का विषय है। अतः संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा नियुक्ति पत्र की प्रविष्टि सेवा पुस्त में निश्चित रूप से की जाय। अन्यथा की स्थिति में प्रसंगाधीन नियुक्ति को अनियमित करार देते हुए इस ओर सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ कर्मियों के सेवा पुस्त की जाँच में पाया गया कि निम्नवर्गीय सहायक की नियुक्ति हेतु वर्ष 1973 में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गयी थी और उसी प्रति0 परीक्षा के आधार पर कुछ कर्मियों की नियुक्ति भी गयी थी परन्तु प्रसंगाधीन कुछ कर्मचारियों की 1973 के बाद की नियुक्ति होने के बाबजूद भी उनकी सेवा पुस्त में नियुक्ति प्रक्रिया/नियुक्ति पत्र का उल्लेख किया हुआ नही पाया गया।

निर्गत आपत्ति का अनुपालन विभाग द्वारा किसी भी स्तर से नही किया गया जो खेद का विषय तो है हीं इसके साथ ही निम्नांकित कर्मचारियों की नियुक्ति ही संदेहात्मक है ऐसी स्थिति में उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि आपत्ति के अंतर्गत निहित समस्त बिन्दुओं की जाँच एक उच्च स्तरीय समिति से करायी जाय एवं वस्तुस्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

कर्मचारियों की विवरणी निम्नवत् हैः—

क्रमांक	नम	पदनाम	नियुक्ति तिथि
1—	श्री रमेश कुमार सिन्हा	प्रशाखा पदाधिकारी	24.1.1978
2—	श्री प्रमोद प्रसाद श्रीवास्तव	प्रशाखा पदाधिकारी	28.2.1975
3—	श्री देव शंकर प्रसाद	प्रशाखा पदाधिकारी	24.6.1978
4—	श्री अवधेश राम	प्रशाखा पदाधिकारी	17.12.1975
5—	श्री मोहन रजक	सहायक	31.10.1980
6—	श्री नवल किशोर प्रसाद	सहायक	23.1.1985
7—	श्री मंजूर अहमद	सहायक	22.3.1974
8—	श्री सतीश नारायण सिंह	सहायक	2.8.1979
9—	श्री बीरेन्द्र झा	सहायक	26.7.1976
10—	श्री अमरेन्द्र चौधरी	सहायक	18.5.1985
11—	श्री प्रह्लाद प्रसाद अग्रवाल	सहायक	22.6.1984
12—	श्री मधुबाला सिन्हा	सहायक	6.8.1984

19. अनियमित कालबद्ध प्रोन्नति के फलस्वरूप अनुमान्य राशि से अधिक भुगतीत राशि वसूली योग्य :—

अंकेक्षण के क्रम में कर्मचारियों के सेवापुस्त की जाँच क्रम में पाया गया कि श्री मंजूर अहमद सहायक विभागीय परीक्षा वर्ष 1995 में सम्पन्न परीक्षा में पूर्णतः उत्तीर्ण घोषित किये गये थे परन्तु उन्हें 6.4.1984 से ही प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति देते हुए वेतन आदि का भुगतान किया गया था जो वित्त विभाग की अधिसूचना सं0 10770 दिनांक 30.12.1981 के कंडिका—11 के विरूद्ध है। अतः स्पष्ट किया जाय कि उन्हें किस परिस्थिति में वगैर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण हुए हीं प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति स्वीकृत की गयी थी। साथ हीं यह भी स्पष्ट किया जाय कि इनका वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 17.3.78 है लेकिन 6.4.84 को प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति किस परिस्थिति में निर्धारित किया गया ?

निर्गत आपत्ति का अनुपालन विभाग द्वारा नहीं किया जा सका। इससे स्पष्ट है कि संबंधित कर्मचारी को अनियमित प्रोन्नति स्वीकृत की गयी थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्त में समय–समय पर स्वीकृत वेतन, वेतन वृद्धि आदि का उल्लेख नहीं किया गया था परिणामतः उन्हें भुगतीत वेतन आदि की जाँच करना संभव नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में अनियमित भुगतान की राशि का गणना करना भी संभव नहीं हो सका।

अतः विभागीय स्तर पर अनियमित प्रोन्नति की औचित्य की जाँच के साथ हीं अनियमित भुगतान की गयी राशि की गणना कर उसकी सकल राशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है। इसके साथ–हीं की गयी कार्रवाई के प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराना भी अपेक्षित है।

20. अनुमान्यता से अधिक गाड़ियों पर अनियमित व्ययः–

अंकेक्षण के क्रम में विभागीय वाहनों के रख–रखाव एवं ईंधन व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणकों तथा आकस्मिकता व्यय पंजी की जाँच क्रम में पाया गया कि इस विभाग में बिहार सरकार द्वारा मात्र पाँच गाड़ी (डी0 आई0जी0 फूड सहित)हीं अनुमान्य था जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा निर्गत आपत्ति के अनुपालन से भी हो जाती है।जबकि विभाग में अंकेक्षणाधीन अवधि में अनुमान्य पाँच गाड़ियों के स्थान पर कुल नौ गाड़ियाँ कार्यरत रही है अर्थात् चार अतिरेक गाड़ी चली है जिससे सरकार को लाखों रूप्ये की क्षति हुई थी। हो रही है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, बिहार के पत्र सं0 एम–4–32/90/4512 वि0 (2) दिनांक 29.8.90 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि प्रत्येक विभाग में मंत्री राज्य मंत्री, उप मंत्री एक, सचिव के लिये एक–एक स्टाफकार तथा एक अतिरिक्त गाड़ी कार्यालय के लिये विभाग में अनुमान्य होगा। अतिरेक वाहन वित्त विभाग को सौंप दी जाय। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार वित्त विभाग पत्र सं0 –3 एम0 2–7विविध–35/2001 –8437 वि0 (2) दिनांक 26.12.2001 तथा वित्त विभाग,पत्र सं0 – एम0 –4–29/2002,3403 वि0 (2) दिनांक 29.4.2002 के द्वारा भी बिहार सरकार के सभी विभागो के आयुक्त एवं सचिव सचिव विभागाध्यक्ष को अनुमान्यता से अधिक गाड़ियों को वित्त विभाग को लौटाने का स्पष्ट आदेश दिया गया था। लेकिन बिहार सरकार के उपरोक्त आदेशों के बाबजूद खाद्य,आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग में अनुमान्यता से अधिक गाड़ियाँ चल रही है और इस तरह से बिहार सरकार के आदेशों का खुलेआम उल्लंधन किया जा रहा है जिसके कारण राजकीय कोष का अपव्यय हो रहा है और प्रतिवर्ष सरकार को लाखों रूपये की क्षति हो रही है।

निर्गत आपत्ति का अनुपालन विभाग द्वारा नही किये जाने के कारण आपत्ति यथा बत रह गयी है। इसलिए आपत्ति के उपालेाक में अनुमान्यता से अधिक वाहनों को शीध्रताशीध्र वित्त विभाग को वापस किया जाय एवं पूर्व में प्रयुक्त किये गये अतिरिक्त वाहनों के ईधन

आदि पर किये गये व्यय की गणना की जाये एवं इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से अपव्यय की राशि की वसूली कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार,पटना को अवगत कराया जाये।

21. अंकेक्षण के दृष्टांत पर रू0 14700=00 को कोषागार में जमा योग्य :-

अंकेक्षण के क्रम में शीर्ष 2013 (मंत्री परिषद) के विवेकानुदान के भुगतान प्रमाणकों की जाँच क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 01-02 से 02-03 के बीच विभिन्न विपत्रों द्वारा विभिन्न विद्यालयों के छात्रों को अनुदान भुगतान हेतु कुल राशि 1,20,000=00 रू0 की निकासी की गयी थी जिसमें से मात्र 1,05,300=00 रू0 का ही भुगतान हो पाया और शेष राशि 14,700=00 रू0 अभी तक नगद राशि के रूप में रोकड़ पुस्त में पड़ा हुआ है जो बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 289 के विरूद्ध है।

निर्गत आपत्ति के आलोक में चलान सं0 -2 दिनांक 16.1.07 को रू0 14,700.00 कोषागार में जमा किया गया और चलान की प्रति अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे कोषागार सत्यापन के पश्चात् उठायी जा सकती है।

सामान्य अभ्युक्ति

(i) अंकेक्षण के क्रम में लेखाओं के जाँच क्रम में पाया गया कि विभिन्न कार्यो के लिए अग्रिम एवं बफशीट अग्रिम का भुगतान किया गया था परन्तु इसका कोई लेखा जोखा विभाग द्वारा संधारित नही किया गया था। परिणामतः अग्रिम की सही-सही जानकारी प्राप्त करना मुश्किल ही नही वरण असंभव सा है। अतः भविष्य में अग्रिम एवं बफशीट अग्रिम पंजी का संधारण नियमित रूप से किया जाय ताकि अग्रिम संबंधी सही जानकारी एक दृष्टि में हो सके।

(ii) अव्यवहृत राशि से संबंधित अभिलेखों के जाँच क्रम में यह पाया गया कि व्यय की प्रत्याशा में कोषागार से राशि निकाल ली जाती है परन्तु उसका व्यय लंबे अर्से तक नही किया जाता है जो बिहार कोषागार संहिता के भाग-1 के नियम -300 के विरूद्ध है। अतः भविष्य में इस नियम का पालन करते हुए नियत समय पर ही कोषागार से राशि की निकासी की जाये।

(iii) रोकड़ पुस्त की भौतिक जाँच क्रम में पाया गया कि संवरण शेष का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से प्रत्येक माह की 15 वीं 30 वीं तारीख को नही किया गया था। जो बिहार कोषागार संहिता के नियम-86 यथा संशोधित के विरूद्ध है।

अतः भविष्य में इस नियम का पालन दृढ़ता पूर्वक की जाये अन्यथा गबन एवं दुर्विनियोग के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा रोकड़पाल पूर्ण रूप से जिम्मेवार ठहराये जा सकेगे।

(iv) विभाग द्वारा कोषागार में जमा की गयी राशियों का लेखा जोखा के रख–रखाब के लिए किसी प्रकार का पंजी संधारित नही किया गया था,जिसके कारण जमा की गयी राशियों का सही –सही जानकारी मिलने में काफी कठिनाई होती है अतः भविष्य में विभाग द्वारा जमा की जानेवाली सभी राशियों को रेमीटेन्स पंजी में नियमित रूप से संधारित किया जाना चाहिए जिससे कि कोषागार में जमा की गयी राशियों की सही–सही जानकारी एक दृष्टि में हो सके।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षार</u>

(1) आलोक कुमार गुप्ता व0 अं0–2

(2)

परिशिष्ट –'क'

प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. विपत्र पुस्त
2. रोकड़ पुस्त, सामान्य ,मुख्य शीर्ष –3451,3456 एवं 2013 (मंत्री परिषद)
3. वेतन भुगतान पंजी– बंडल में
4. आकस्मिक व्यय पंजी
5. व्यय प्रमाणक
6. सेवा पुस्त
7. आवंटन एवं व्यय पंजी
8. विवेकानुदान रोकड़ पुस्त
9. लौग बुक – (आंशिक)

10. जी0 पी0 एफ0 ,अग्रिम पंजी
11. जी0 पी0 एफ0 ,अंतिम भुगतान
12. ग्रूप बीमा
13. पेंशन
14. भंडार पुस्त – आंशिक
15. वितरण पंजी – आंशिक
16. अग्रिम पंजी – आंशिक
17. फ्रैंकिंग मशीन – अभिलेख
18. वाहन संचिका – आंशिक
19. बकाया भुगतान विवरणी – आंशिक

<u>अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–</u>

1. लौग बुक – आंशिक
2. वाहन संचिका – आंशिक
3. यात्रा भत्ता विपत्र – आंशिक
4. उपस्थिति पंजी –
5. स्वीकृत /कार्यरत पदों की विवरणी
6. भंडार पुस्त – आंशिक
7. वितरण पंजी – आंशिक
8. अग्रिम पंजी – आंशिक
9. बकाया भुगतान विवरणी – आंशिक
10. यात्रा भत्ता का भ्रमण डायरी कार्या0 आदेश
11. विभागीय वाहनों की इतिहास पुस्तिका,मरम्मति पंजी।
12. लाल राशन कार्ड छपाई संबंधी सभी अभिलेख ।
13. अग्रिम संबंधी विवरणी
14. बफशीट अग्रिम